प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम

सं ले.प/हिन्दी कक्ष/ प्रो यो/2022-23/23-24 दिनांक: 10.4.2023

परिपत्र सं 6

वि-ाय: हिन्दी में कार्य करने केलिए प्रोत्साहन योजना 2022-23

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का.ज्ञा. सं. 1/12013/3/87-रा.भा.वि(ए-2) दि.16-2-1988 के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है । तदनुसार सभी श्रेणियों के वे अधिकारी/कर्मचारी, निम्न दर्शाए दर पर प्रोत्साहन केलिए विचार किए जाने केलिए पात्र हैं जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं तथा व-र् में **कम से कम दस हज़ार शब्द** हिन्दी में लिखते हैं भाग लेने वाले कर्मचारियों को उनके द्वारा हिन्दी में किए गए काम के आधार पर, राजभाषा विभाग के पत्र सं. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दि.14.09.2016 के अनुसार निम्न दर पर नकद पुरस्कार दिए जाएंगे :-

पहला पुरस्कार (2 सं.) - प्रत्येक रू. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 सं.) - प्रत्येक रू. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 सं.) - प्रत्येक रू.2000/-

उपरोक्त योजना के अलावा, उन सभी अधिकारी/कर्मचारी जो सरकारी काम पूर्णतः या कुछ हद तक मूल रूप से हिन्दी में करते हैं तथा व-र् में **कम से कम पांच हज़ार शब्द** हिन्दी में लिखते हैं, के लिए कार्यालयांतर प्रोत्साहन योजना तहत विजेताओं को भी निम्नानुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे ।

पहला पुरस्कार (1 सं.) - प्रत्येक रू. 1500/-
दूसरा पुरस्कार (2 सं.) - प्रत्येक रू. 1000/-
तीसरा पुरस्कार (3 सं.) - प्रत्येक रू.750/-

इस पुरस्कार के लिए, नवीनतम लेखापरीक्षा रिपोर्टों में प्रकाशित महत्वपूर्ण मुद्दों के अनुवाद भी नकद पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा ।

प्रतिभागी को प्रतिदिन नीचे दिए गए प्रपत्र में उनके द्धारा हिंदी में लिखे गए शब्दों का लेखा-जोखा रखना चाहिए । प्रत्येक सप्ताह के लेखे-जोखे पर रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के बाद प्रतिहस्ताक्षर करना चाहिए । व-र् के अंत में प्रत्येक प्रतिभागी को हिंदी में किए गए अपने काम का लेखा-जोखा रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा यथावत् प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर मूल्यांकन के लिए हिंदी कक्ष को प्रस्तुत करना चाहिए। मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर, पुरस्कार के मापदण्डों के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को नकद पुरस्कार मंजूर किए जाएंगे । अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने वर्ष 2022-23 में हिंदी में पर्याप्त कार्य किया है वे अपना अभिलेख **10-5-2023** तक हिन्दी कक्ष को प्रस्तुत करें।

-ह-

व. उप महालेखाकार (प्रशासन)

सेवा में, सभी समूह अधिकारी, सभी अनुभाग, सभी शाखा कार्यालय